

**कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला-जबलपुर
धारा-19 की उपधारा 4 की अधिसूचना**

क्रमांक / / भू-अर्जन / प्र.क्र. / अ-82 / 2017-18 कुण्डम, दिनांक / / 2017

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, क नीचे दी गई अनुसूची की सारणी के कॉलम 2 में वर्णित भूमि के कॉलम में उल्लेखित रकवे का नीचे बिन्दु क्र. 2 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा 4 के अंतर्गत एदद द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अनुसूची

01. भूमि का विवरण

- क. जिला - जबलपुर
ख. तहसील - कुण्डम
ग. ग्राम - कुसुआ डबरा (प.ह.नं. 0037)
घ. रा.नि.मं. - इमलई
ड. अर्जनाधीन क्षेत्रफल 88.900 हेक्टे. एवं इस पर आने वाली सम्पत्तियाँ

स.क्र.	प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित रकवा (हे.)
1	25	0.990
2	26/1	3.090
3	26/2	1.000
4	27	0.300
5	102	0.480
6	104	0.840
7	105	0.610
	178	0.600
8	106	0.130
	219	0.580
9	107	1.480
	114	0.300
10	100	0.310
	220	0.370
11	108	0.70
12	109	0.500
13	110	0.430
	88	1.070
	87	0.780
14	111	0.200
15	112	1.010
	141	3.320
16	113	0.530
17	115	0.200
	138	0.600
18	116	0.200
	139	0.600
19	117	0.580

	118	0.350
20	119	0.860
21	120/1	0.100
	122	0.140
22	120/2	0.250
23	121	0.140
24	123	0.250
25	124	0.340
	125	0.340
	126	0.240
	127	0.220
	128	0.330
	131	0.880
	164	0.350
26	132	0.370
27	133/1	0.200
	134/2	0.260
	135/2	0.360
	187/2	0.150
28	133/2	0.200
	134/1	0.260
	135/1	0.360
	187/1	0.140
29	137	1.110
	150	0.420
30	142/1	0.130
	143	0.650
31	142/2	0.790
32	144	0.480
33	145	0.780
34	146	0.780
35	147	0.770
36	149/1	0.340
37	149/2	0.990
38	152	0.750
	172	0.320
	173	1.010
	174	0.640
	186	0.550
39	153	0.250
	158	0.100
	165	0.330
40	154	0.660
41	155	0.650
42	159	0.370
43	160	0.230
44	161	0.900
45	162	0.610
	163	0.340
	258	0.900
46	166	0.480
	167	0.440
	183	0.540

	246	0.540
47	168	0.290
48	169	0.290
	179	0.510
49	170	0.640
	171	0.750
50	176	0.260
51	177	0.260
52	180	0.250
53	181	0.230
54	182	0.520
55	99	0.900
56	98	0.410
	184/1	0.390
57	97	0.510
	95	0.840
	16	1.360
58	91	2.140
59	185	0.710
	196	0.260
	198	0.280
60	184/2	0.290
61	184/3	0.180
62	189	0.120
63	190	0.240
	191	0.790
	192	0.990
	193	0.250
64	194	0.140
	195	0.300
	210	0.360
65	197	0.200
	199	0.200
	251	0.950
66	213	0.090
67	214	0.330
68	215	0.400
69	217	1.280
70	218	0.550
71	200	0.340
72	201	0.200
	206	0.170
	207	0.160
	241	0.190
	257	1.210
73	203	0.290
74	204	0.210
75	205	0.220
76	208	0.290
	209	0.400
77	223	0.500
	242	0.380
	148	0.120

	188	0.110
78	224	0.150
	229	0.400
	236	0.500
	239	0.650
79	227	0.520
	234	0.400
	237	0.810
80	228	0.560
	232	0.120
	235	0.500
	238	0.800
81	262	2.350
	260	0.240
	263	0.580
	259	0.260
82	264	0.800
	249	0.420
83	266	0.930
84	247	0.770
85	12/1	0.360
	15/1	0.130
	17/1	0.130
	18/1	0.300
	19/1	0.240
	12/2	0.370
	15/2	0.120
	17/2	0.140
	18/2	0.300
	19/2	0.230
	14	0.150
	21	0.690
	31	2.990
Total		88.900

02. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है -
हिरन मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
03. चूंकि उक्त जलाशय शीर्ष निर्माण का कार्य अति आवश्यक की श्रेणी में आता है। अतः धारा 19 की उपधारा 2 के तहत सामाजिक समाघात स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।
04. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है।
05. भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व कुण्डम एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(महेश चन्द्र चौधरी)

कलेक्टर जबलपुर एवं पदेन अपर सचिव
म.प्र. शासन राजस्व विभाग

प्रतिलिपि :

1. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ म.प्र. राजपत्र भाग-1 में प्रकाशनार्थ ।
2. संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जनसंपर्क कार्यालय, टी.टी. नगर, भोपाल म.प्र. की ओर दो स्थानीय समचार पत्रों में प्रकाशनार्थ ।
3. कार्यपालन यंत्री, हिरन जलसंसाधन संभाग, जबलपुर की ओर सूचनार्थ, भू-अर्जन की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन तत्काल कराये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।
- ✓ 4. जिला सूचना अधिकारी जबलपुर (कलेक्टर एन.आई.सी. कक्ष क्र. 84) को शासकीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
5. कलेक्टर कार्यालय/जिला पंचायत कार्यालय जबलपुर के सूचना पटल पर चस्पा प्रकाशन हेतु ।
6. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कुण्डम जिला जबलपुर की ओर नोटिस बोर्ड में चस्पा करने हेतु ।
7. तहसीलदार कुण्डम की ओर सूचनार्थ उक्त सूचना का प्रकाशन संबंधित ग्राम में एवं सार्वजनिक स्थलों पर कराकर प्रतिवेदन संबंधित भू-अर्जन अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
8. सरपंच ग्राम पंचायत बुआ (कुसुआ डबरा) की ओर सूचनार्थ एवं आगामी ग्रामसभा की बैठक में प्रति सूचनार्थ रखें । ~~दुपरा~~

(महेश चन्द्र चौधरी)

कलेक्टर जबलपुर एवं पदेन अपर सचिव
म.प्र. शासन राजस्व विभा